

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/एफ-1/नर्स श्रे.द्वि./एमएनआईटी/(सीधी भर्ती-2018)/2018/

दिनांक:-

परिपत्र

विभाग द्वारा एमएनआईटी के माध्यम से सहायक रेडियोग्राफर, प्रयोगशाला सहायक एवं नर्स श्रेणी द्वितीय, के पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया जारी है इस हेतु विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक क्रमशः 25.05.2018, 29.05.2018 एवं 30.05.2018 जिसमें राज्य सरकार द्वारा तत्समय अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिये जाने का उल्लेख किया गया था। किन्तु भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को विखण्डित (rescinds) करते हुए, अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिश्चित (redefined) किया गया है। जिसकी पालना में कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक पं. 13(20)/कार्मिक/क-2/91/पार्ट-3 दिनांक 01.06.2018 के द्वारा समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया है कि दिनांक 19.05.2018 के पश्चात् जारी होने वाली समस्त विज्ञप्तियों में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 के प्रावधान प्रवृत्त करें। (अधिसूचना विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है)

अतः विभाग द्वारा सहायक रेडियोग्राफर, प्रयोगशाला सहायक एवं नर्स श्रेणी द्वितीय के पदों हेतु जारी विज्ञप्तियों के संदर्भ में आवेदन करने वाले अनुसूचित क्षेत्र के निवासी सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनका क्षेत्र भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 के द्वारा अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही उन्हें अनुसूचित क्षेत्र का निवासी होने का लाभ दिया जावेगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/एफ-1/नर्स श्रे.द्वि./एमएनआईटी/(सीधी भर्ती-2018)/2018/265 दिनांक:- 06/6/18

प्रतिलिपि: प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 के साथ उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक पं. 13(20)कार्मिक/क-2/91/पार्ट-3


जयपुर, दिनांक: 1.6.2018

1. समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर) सहित।

परिपत्र


भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना दिनांक 19.5.2018 के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 1981 जारी कर इसे तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त किया गया है। उक्त आदेश के द्वारा, भारत सरकार की पूर्व अधिसूचना सं 19(2)80-एल-1 दिनांक 12.2.81 द्वारा अधिसूचित किये गये अनुसूचित क्षेत्र को विखण्डित (rescinds) करते हुए, अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिश्चित (redefined) किया गया है।


अतः समस्त विभागाध्यक्षों/नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 19.5.2018 के पश्चात जारी होने वाली सभी विज्ञप्तियों के लिए उक्त अधिसूचना के प्रावधान प्रवृत्त होंगे।


(भास्कर ए. सावंत)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव/ निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव गण।
4. सचिव, राज० लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली


संयुक्त शासन सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 19, 2018/वैशाख 29, 1940

No. 325]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 19, 2018/VAISAKHA 29, 1940

विधि और न्याय मंत्रालय

(निधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2018

सा.का.नि. 466(अ).— राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं.आ.270"

अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018

राष्ट्रपति, भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 1981 को विखंडित करते हैं और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को राजस्थान राज्य के अन्दर अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में पुनः परिनिश्चित किया जाता है :—

(1) बांसवाड़ा जिला

(2) डूंगरपुर जिला

(3) प्रतापगढ़ जिला

(4) उदयपुर जिले में निम्नलिखित क्षेत्र :

(क) कोटडा, झाडोल (तत्कालीन फलासिया), लसाडिया, सलूमबर, सराडा, खेरवाडा, ऋषभदेव तथा गोगून्दा तहसील ।

(ख) गिर्वा तहसील में निम्नलिखित क्षेत्र :

(i) गिर्वा ब्लॉक

(ii) निम्नानुसार उल्लिखित बड़गांव ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :

- (I) मदार ग्राम पंचायत के मदार, ब्राह्मणों की हुन्दर, राठोडों का गुढा, बान्दरवाडा, घोडान कलां, घोडान खुर्द और कायलों का गुढा ग्राम,
- (II) कैलाशपुरी ग्राम पंचायत के कैलाशपुरी, राया, करावाडी, मठाठा, नागदा, झालों का गुढा तथा मुणवास ग्राम,
- (III) चीरवा ग्राम पंचायत के चीरवा, मोहनपुरा, शिवपुरी, करेलों का गुढा तथा सारे ग्राम,
- (IV) अम्बेरी ग्राम पंचायत के अम्बेरी, भीलों का बेदला, ओटो का गुढा तथा प्रतापपुरा ग्राम,
- (V) डीकली ग्राम पंचायत के डीकली तथा बडा ग्राम,
- (VI) कविता ग्राम पंचायत के कविता, बरोडिया, घसियार तथा डांगियों का हुंदर ग्राम,
- (VII) धार ग्राम पंचायत के गहलोतों का वास, बीयाल, कुण्डाल उवेश्वरजी, धार, बडंगा तथा बनादिया ग्राम,

(ग) मावली तहसील के नउवा ग्राम पंचायत के नउवा, खादरा, रायजी का गुढा तथा मारूवास ग्राम

(घ) निम्नानुसार उल्लिखित वल्लभनगर तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम:

- (I) माल की टूस ग्राम पंचायत के माल की टूस, गोवला, फलेट, टांक और ब्राह्मणों का रोबा ग्राम,
- (II) धावडिया ग्राम पंचायत के धावडिया, खेडाफला, नागलिया, रानी डूंगला और राणिया ग्राम,
- (III) भोपा खेडा ग्राम पंचायत के भोपा खेडा, बेरीपुरा, हमेरपुरा, फूसरिया और रायला ग्राम,
- (IV) कुण्डई ग्राम पंचायत के कुण्डई, भमेला, गोटीपा, कांकरियों का खेडा, नाहरपुरा उर्फ नारपुरा, पदमा खेडा और संग्रामपुरा ग्राम ।

(5) राजसमन्द जिले में निम्नलिखित :

(क) निम्नानुसार उल्लिखित कुंभलगढ़ तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :

- (i) आंतरी ग्राम पंचायत के आंतरी, सन्दूकों का गुढा और बारां ग्राम,

- (ii) कुचोली ग्राम पंचायत के कुचोली, केशर और बावदा ग्राम,
- (iii) ओड़ा ग्राम पंचायत के ओड़ा, दोवास और कोदार ग्राम,
- (iv) पीपाना ग्राम पंचायत के पीपाना, जेतारण और देलवाडिया ग्राम,
- (v) बरदड़ा ग्राम पंचायत के बरदड़ा, उदावड़, कलथाना और कोटडा ग्राम,

(ख) नाथद्वारा तहसील के कालीवास ग्राम पंचायत के निम्नलिखित ग्राम, अर्थात्:-

कालीवास, बरवा, बरवालिया, बेरन, कमली का गुढा, गामेठों का नोहरा, दामावडी, कोलर, मुंजेला, लीलेरा, रायनिया, श्यामजी का गुढा, सियोल, सोनगरिया और तांतेला ग्राम ।

(6) निम्नानुसार उल्लिखित चित्तौडगढ़ जिले में बड़ी सादडी तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :-

- (क) रति चन्दजी का खेड़ा ग्राम पंचायत के आफरों का तालाब, लिकोडा, सुल्तानपुरा, बोरखेड़ा, सेमल खेड़ा, रूघनाथपुरा, कीटखेड़ा, रती तलाई, रति चन्दजी का खेड़ा, चांदपुरा, सबलपुरा तथा गुन्दलपुर ग्राम,
- (ख) अमीरामा ग्राम पंचायत के अमीरामा, मानपुरा, पारबती, रूपपुरा तथा मरावडिया ग्राम,
- (ग) केवलपुरा ग्राम पंचायत के केवलपुरा (ए), केवलपुरा जागीर, रावतपुरा, शिवपुरा, टेगडियों का फला, नया खेड़ा, रानी माल्या, काली भीत, लछमीपुरा, हरीपुरा, श्यामपुरा, जूनी बड़वाल, कल्याणपुरा तथा केवलपुरा (बी) ग्राम,
- (घ) मूजवा ग्राम पंचायत के मूजवा, जयसिंहपुरा, एकलिंगपुरा, मातामगरी, ढीकडिया खेडी, पूजां का फलियान, पायरी, केशरपुरा, खांखरिया खेडी, लालपुरा, काला खेत तथा दीपों का तालाब ग्राम,
- (ङ) पारसोली ग्राम पंचायत के पारसोली, बोरूणडी, गढ़ बोरूणडी, संग्रामपुरा, राठोडों का खेड़ा, खेडी कलां, खेडी खुर्द तथा सुखपुरा ग्राम।

(7) निम्नानुसार उल्लिखित पाली जिले में निम्नलिखित बाली तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :-

- (क) आमलिया ग्राम पंचायत के आमलिया, कागदड़ा, ठंडी बेरी, लक्ष्मणपुरा जोड़ और बोथरा ग्राम,
- (ख) कूरण ग्राम पंचायत के कूरण, खेतरली, कोलवाडा, कोतीवाडा, कूरण खादरा और खेतरली खाडा ग्राम,
- (ग) गोरिया ग्राम पंचायत के गोरिया और कोरवा ग्राम,
- (घ) भीमाना ग्राम पंचायत के भीमाना, उपला भीमाना, तणी, उरणा और नाडीया ग्राम,
- (ङ) काकराडी ग्राम पंचायत के काकराडी, अरडवा, दानवरली, सांभरवाडा और बेरडी ग्राम,
- (च) मालनू ग्राम पंचायत के मालनू, हीरोला और लालपुरा ग्राम,
- (छ) पीपला ग्राम पंचायत का पीपला ग्राम,

- (ज) लुन्दाडा ग्राम पंचायत के लुन्दाडा, चिमनपुरा और मालदर ग्राम,
 (झ) कोयलावाव ग्राम पंचायत के कोयलावाव, चिंगटा भाटा और चोपा की नाल ग्राम।
 (8) सिरोही जिले में निम्नलिखित :

- (क) आबूरोड तहसील
 (ख) निम्नानुसार उल्लिखित पिण्डवाडा तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित 'ग्राम :-
 (i) वरली ग्राम पंचायत के वरली, कुण्डाल, साबेला, वागदरी, ढांगा, कालुम्बरी और पिण्डवाडा (ग्रामीण) ग्राम,
 (ii) मोरस ग्राम पंचायत के मोरस, चीनिया बन्द और भादावेरी ग्राम,
 (iii) आमली ग्राम पंचायत के आमली, ठंडी बेरी, सादलवा और मालप ग्राम,
 (iv) घरट ग्राम पंचायत के घरट, मालेरा, नवावास, गडिया और पहाड कलां ग्राम,
 (v) लोटाना ग्राम पंचायत के लोटाना, आपरी खेडा और कालाबोर ग्राम,
 (vi) माण्डवाडा खालसा ग्राम पंचायत के माण्डवाडा खालसा, खोखरी खेडा और वारकी खेडा ग्राम,
 (vii) सनवाडा ग्राम पंचायत के सनवाडा, सदा फली, नवावास देव, नवावास खालसा और सेमली ग्राम,
 (viii) ईसरा ग्राम पंचायत के ईसरा, केर, उबेरा और चुरली खेडा ग्राम,
 (ix) वालोरिया ग्राम पंचायत का वालोरिया ग्राम,
 (x) माण्डवाडा देव ग्राम पंचायत के माण्डवाडा देव, पीटारी पादर, केदार पादर और बोर उमरी ग्राम,
 (xi) भूला ग्राम पंचायत का भूला ग्राम,
 (xii) अचपुरा ग्राम पंचायत के अचपुरा, कासीन्दा, नागपुरा, पंच देवल, ब्लॉक नं. 2 और कोटरा ग्राम,
 (xiii) बसन्तगढ ग्राम पंचायत का बसन्तगढ ग्राम,
 (xiv) सिवेरा ग्राम पंचायत के सिवेरा, राजपुरा, केशवगंज और दरला पादर ग्राम।

3. राज्यक्षेत्रीय प्रभाग, चाहे वह किसी भी नाम से उपदर्शित हो, के पूर्वगामी पैरा में किसी निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस आदेश के प्रारम्भ पर यथाविद्यमान उस नाम के राज्यक्षेत्रीय प्रभाग के प्रति निर्देश है।

राम नाथ कोविंद,
 राष्ट्रपति।

[फा.सं.1(31)/2017-वि.1]
 डॉ.रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th May, 2018

G.S.R. 466(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

"C.O.270"**THE SCHEDULED AREAS (STATE OF RAJASTHAN) ORDER, 2018**

In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (2) of paragraph 6 of the Fifth Schedule to the Constitution of India, the President hereby rescinds the Scheduled Areas (State of Rajasthan) Order, 1981, and in consultation with the Governor of that State, is pleased to make the following Order, namely:—

1. (1) This Order may be called the Scheduled Areas (State of Rajasthan) Order, 2018.
(2) It shall come into force at once.
2. The areas specified below are hereby redefined to be the Scheduled Areas within the State of Rajasthan:—
 - (1) Banswara district.
 - (2) Dungarpur district.
 - (3) Pratapgarh district.
 - (4) The following in Udaipur district:
 - (a) Tehsils of Kotra, Jhadol (erstwhile Phalasia), Lasadia, Salumbar, Sarada, Kherwara, Rishabhdeo and Gogunda;
 - (b) the following in Girwa tehsil:
 - (i) Girwa block,
 - (ii) the following villages of the gram panchayats of block Bargaon as mentioned below:—
 - (I) Madar, Brahmanon Ki Hunder, Rathoron Ka Gurha, Bandarwara, Ghodan Kalan, Ghoran Khurd and Kaylon Ka Gurha villages of Madar gram panchayat,
 - (II) Kailashpuri, Raya, Karawari, Mathatha, Nagda, Jhalon Ka Gurha and Munwas villages of Kailashpuri gram panchayat,
 - (III) Cheerwa, Mohanpura, Shivpuri, Karelon Ka Gurha and Sare villages of Cheerwa gram panchayat,
 - (IV) Amberi, Bheelon Ka Bedla, Oton Ka Gurha and Pratappura villages of Amberi gram panchayat,
 - (V) Dheekli and Bada villages of Dheekli gram panchayat,
 - (VI) Kavita, Barodiya, Ghasiyar and Dangiyon Ka Hundar villages of Kavita gram panchayat,

- (VII) Gehloton Ka Was, Beeyal, Kundal Ubeshwarji, Dhar, Badanga and Banadiya villages of Dhar gram panchayat;
- (c) the Nauwa, Khadra, Raiji Ka Gurha and Maruwas villages of the Nauwa gram panchayat of Mavli tehsil:
- (d) the following villages of the gram panchayats of Vallabhnagar tehsil as mentioned below:—
- (I) Mal Ki Toos, Gowala, Phalet, Tank and Brahmanon Ka Roba villages of Mal Ki Toos gram panchayat,
 - (II) Dhawariya, Kheraphala, Nagaliya, Rani Doongla and Raniya villages of Dhawariya gram panchayat,
 - (III) Bhopa Khera, Beripura, Hamerpura, Phoosariya and Rayla villages of Bhopa Khera gram panchayat,
 - (IV) Kundai, Bhamela, Gotipa, Kankariyon Ka Khera, Naharpura *alias* Narpura, Padma Khera and Sangrampura villages of Kundai gram panchayat.
- (5) The following in Rajsamand district:
- (a) the following villages of the gram panchayats of Kumbhalgarh tehsil as mentioned below:
 - (i) Antri, Sandookon Ka Gurha and Baran villages of Antri gram panchayat,
 - (ii) Kucholi, Keshar and Bawada villages of Kucholi gram panchayat,
 - (iii) Ora, Dowas and Kodar villages of Ora gram panchayat,
 - (iv) Peepana, Jetaran and Delwariya villages of Peepana gram panchayat,
 - (v) Bardara, Udawar, Kalthana and Kotra villages of Bardara gram panchayat;
 - (b) the following villages of Kaliwas gram panchayat of Nathdwara tehsil, namely, Kaliwas, Barwa, Barwaliya, Beran, Kamli Ka Gurha, Gamethon Ka Nohara, Damawari, Kolar, Munjela, Leelera, Rainiya, Shyamji Ka Gurha, Siyol, Songariya and Tantela.
- (6) The following villages of the gram panchayats of Bari Sadri tehsil in Chittorgarh district as mentioned below:
- (a) Afron Ka Talab, Linkoda, Sultanpura, Borkhera, Semal Khera, Rughnathpura, Keetkhera, Rati Talai, Rati Chandji Ka Khera, Chandpura, Sabalpura and Gundal Pur villages of Rati Chandji Ka Khera gram panchayat,
 - (b) Ameerama, Manpura, Parbati, Roop Pura and Maraodiya villages of Ameerama gram panchayat,
 - (c) Kewalpura (A), Kewalpura Jageer, Rawatpura, Shiv Pura, Tegariyo Ka Phala, Naya Khera, Rani Malya, Kali Bheet, Lachhmipura, Haripura, Shyampura, Jooni Barwal, Kalyanpura and Kewalpura (B) villages of Kewalpura gram panchayat,

- (d) Moonjwa, Jaisinghpura, Eklinghpura, Matamagari, Dheekriya Kheri, Pujan Ka Phalian, Payri, Kesharpura, Khankhariya Kheri, Lalpura, Kala Khet and Deepon Ka Talab villages of Moonjwa gram panchayat.
- (e) Parsoli, Borundi, Garh Borundi, Sangrampura, Rathoron Ka Khera, Kheri Kalan, Kheri Khurd and Sukhpura villages of Parsoli gram panchayat.
- (7) The following villages of the gram panchayats of Bali tehsil in Pali district as mentioned below:
- (a) Amliya, Kagdara, Thandi Beri, Laxman Pura Jod and Bothara villages of Amliya gram panchayat,
- (b) Kooran, Khetralli, Kolwara, Kotiwada, Kooran Khadra and Khetralli Khada villages of Kooran gram panchayat,
- (c) Goriya and Korwa villages of Goriya gram panchayat,
- (d) Bheemana, Upla Bheemana, Tani, Urana and Nadiya villages of Bheemana gram panchayat,
- (e) Kakradi, Aradwan, Danverli, Sambharwara and Berdi villages of Kakradi gram panchayat,
- (f) Malnoo, Heerola and Lalpura villages of Malnoo gram panchayat,
- (g) Peepla village of Peepla gram panchayat,
- (h) Lundara, Chimanpura and Maldar villages of Lundara gram panchayat,
- (i) Koyalavao, Chingta Bhata and Chopa Ki Nal villages of Koyalavao gram panchayat.
- (8) The following in Sirohi district:
- (a) Aburoad tehsil:
- (b) the following villages of the gram panchayats of Pindwara tehsil as mentioned below:
- (i) Varli, Kundal, Sabela, Vagdari, Dhanga, Kalumbari and Pindwara (Rural) villages of Varli gram panchayat,
- (ii) Moras, Cheeniya Band and Bhadaveri villages of Moras gram panchayat,
- (iii) Amlia, Thandi Beri, Sadalwa and Malap villages of Amlia gram panchayat,
- (iv) Gharat, Malera, Navawas, Gadiya and Pahar Kalan villages of Gharat gram panchayat,
- (v) Lotana, Apri Khera and Kalabor villages of Lotana gram panchayat,
- (vi) Mandwara Khalsa, Khokhri Khera and Varki Khera villages of Mandwara Khalsa gram panchayat,
- (vii) Sanwara, Sada Phali, Navawas Dev, Navawas Khalsa and Semli villages of Sanwara gram panchayat,

- (viii) Isra, Ker, Ubera and Churli Khera villages of Isra gram panchayat,
- (ix) Waloriya village of Waloriya gram panchayat,
- (x) Mandwara Deo, Peetari Padar, Kedar Padar and Bor Umri villages of Mandwara Deo gram panchayat,
- (xi) Bhoola village of Bhoola gram panchayat,
- (xii) Achpura, Kaseenda, Nagpura, Panch Dewal, Block No. 2 and Kotra villages of Achpura gram panchayat,
- (xiii) Basant Garh village of Basant Garh gram panchayat,
- (xiv) Siwera, Rajpura, Keshavganj and Darla Padar villages of Siwera gram panchayat.

3. Any reference in the preceding paragraph to a territorial division by whatever name indicated shall be construed as a reference to the territorial division of that name as existing at the commencement of this Order.

RAM NATH KOVIND,
President.

[F. No. 1031/2017-Leg. II]
Dr. REETA VASISHTA, Addl. Secy.

RAKESH
SUKUL

Digitally signed by
RAKESH SUKUL
Date: 2018.05.19
19:46:41 +05'30'